पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–13] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 जनवरी, 2012 ई0 (पौष 17, 1933 शक सम्वत्) [संख्या–01

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	1–56	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	–	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	1–3	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

23 नवम्बर, 2011 ई0

संख्या 1277/XV-1/2(34)/09–श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 06 वर्ष 2007) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण नियमावली, 2011

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण नियमावली, 2011 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।

(3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएं–

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;
(ख) "गो वंश" से गाय, बैल, सांड, बछिया अथवा बछड़ा अभिप्रेत है;
(ग) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(घ) "प्ररूप" से इस नियमावली की अनुसूची में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है;
(ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद् एवं नगर निगम सम्मिलित है।

3. पशु की रोगग्रस्तता की सूचना देना–

कोई व्यक्ति, जिसका गो वंश, किसी सांस्पर्शिक/संसर्गिक रोग से पीड़ित हो अथवा उसके पीड़ित होने का विश्वास हो या असाध्य रोग एवं पीड़ाजनक परिस्थिति में हो, जिसके संक्रमण से गो वंश के साथ-साथ मानव के लिये खतरा उत्पन्न हो गया हो, वह निकटतम पशु चिकित्साधिकारी को इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि गो वंश वास्तव में ऐसे रोग से पीड़ित है अथवा नहीं हेतु प्ररूप "1" में एक प्रार्थना-पत्र देगा।

4. रोगग्रस्त पशु की जाँच–

पशु चिकित्साधिकारी पूर्व से निश्चत और प्रार्थी को सूचित किये गये दिनांक को तथा स्थान पर गो वंश की जाँच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाये कि गो वंश राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किसी सांस्पर्शिक/संसर्गिक रोग या असाध्य रोग एवं पीड़ाजनक परिस्थिति से पीड़ित है तो वह उसको दया मृत्यु दिये जाने के लिये प्ररूप "2" में एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा। पशु चिकित्साधिकारी प्रत्येक दशा में अपना निष्कर्ष भी प्रार्थना-पत्र पर अभिलिखित करेगा।

5. रोगग्रस्त गो वंश की क्लीनिकल जाँच–

पशु चिकित्साधिकारी सम्बन्धित गो वंश के सरकार द्वारा विज्ञापित सांस्पर्शिक/संसर्गिक रोग या असाध्य रोग अथवा असाध्य एवं पीड़ाजनक परिस्थिति से पीड़ित होने के सम्बन्ध में संगत क्लीनिकल एवं पैथोलोजिकल परीक्षण करेगा और इन परीक्षणों का सरकार द्वारा विहित शुल्क गो वंश के स्वामी से वहन करने की अपेक्षा करेगा।

6. दया मृत्यु दिये जाने की रीति–

प्ररूप "2" में प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे गो वंश का स्वामी उसकी दया मृत्यु या तो अपनी भूमि पर अथवा उक्त प्रयोजन के लिये संरक्षित स्थान पर यथा संभव पीड़ा रहित मृत्यु विधि द्वारा कारित करा सकेगा।

7. दया मृत्यु की सूचना देना–

(1) जब किसी गो वंश का इस प्रकार वध किया जाये तो वह व्यक्ति, जो ऐसे गो वंश का वध करे अथवा करवाये, वध किये जाने के चौबीस घंटे के भीतर उस अधिकारी को, जिसने प्ररूप "2" में प्रमाण-पत्र दिया है, उस वध की सूचना प्ररूप "3" में देगा।

(2) ऐसे गो वंश का शव या तो गो वंश के स्वामी की भूमि में अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये संरक्षित स्थान पर गहरा गड़वाया जायेगा।

8. गो वंश का राज्य से बाहर परिवहन की प्रक्रिया–

(1) गो वंश के राज्य से बाहर परिवहन हेतु प्रत्येक जनपद का जिलाधिकारी सक्षम अधिकारी होगा।

(2) जिला अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य से बाहर गो वंश का परिवहन उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 6 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप गो वंश के संरक्षण अथवा संवर्धन अथवा पालन के प्रयोजन के लिये ही किया जा रहा है तथा किसी भी दशा में गो वंश के परिवहन के फलस्वरूप गो-हत्या अथवा गो-तस्करी की आशंका नहीं है।

9. परिवहन हेतु अभ्यावेदन एवं जाँच–

गो वंश के राज्य से बाहर परिवहन के पूर्व अनिवार्यरूप से आवेदक द्वारा गो वंश का परिवहन किये जाने का प्रयोजन घोषित किया जायेगा। इन प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित स्थितियों में ही राज्य से बाहर परिवहन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगीः–

(1) गो वंश के संरक्षण हेतु परिवहन घोषित किये जाने पर आवेदन द्वारा गो वंश के कल्याण के लिये समर्पित संस्था के रूप में मान्यता प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति, संस्था का संक्षिप्त परिचय एवं गो वंश के कल्याण के क्षेत्र में उपलब्धियों के अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जायेगी;

(2) गो वंश के संवर्धन हेतु परिवहन घोषित किये जाने पर आवेदक द्वारा स्पष्ट किया जायेगा कि किस संवर्धन योजना के अन्तर्गत उसके द्वारा राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन का प्रस्ताव किया जा रहा है, उसका नाम, योजना की वित्त पोषक संस्था का नाम, जिस राज्य में गो वंश का परिवहन प्रस्तावित है, उस राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा योजना की समुचित जानकारी के क्रम में अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जायेगी;

(3) गो वंश का पालन हेतु परिवहन घोषित किये जाने पर आवेदक द्वाराः–

(क) स्वयं की पहचान प्रस्तुत की जायेगी (फोटो पहचान-पत्र अथवा निवास प्रमाण-पत्र);

(ख) आवेदक द्वारा यह सिद्ध किया जायेगा कि उसके द्वारा गो वंश के परिवहन का प्रस्ताव दुग्ध उत्पादन अथवा संतति उत्पादन अथवा कृषि कार्यों अथवा अन्य कर्षण कार्यों हेतु ही किया जा रहा है। किसी भी दशा में गो वंश के वध अथवा तस्करी हेतु उपयोग में लाये जाने की आशंका नहीं है। इस क्रम में आवेदक द्वारा राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित किसान बही अथवा अन्य अभिलेखों की छाया प्रति प्रस्तुत की जायेगी;

(ग) आवेदक द्वारा यह सिद्ध किया जायेगा कि वह पूर्व में कभी भी गो वंश की हत्या अथवा तस्करी के प्रकरणों में सम्मिलित नहीं रहा है। इस क्रम में उसके द्वारा अपने गृह क्षेत्र के पुलिस थाने की चरित्र सत्यापन अभिलेख प्रस्तुत किया जायेगा;

(घ) गो पालन के प्रयोजन हेतु राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन के प्रकरणों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों (पहचान प्रमाण-पत्र/किसान बही/गो वंश के प्रति अपराध में संलिप्त न होने के प्रमाण के क्रम में प्रस्तावित अभिलेख) का सत्यापन/जाँच प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी तथा जाँचोपरान्त निर्धारित प्ररूप-पत्र (प्ररूप '4') पर जाँच आख्या प्रस्तुत की जायेगी;

(ङ) पशु बेचना में प्रतिपर्ण रवन्ना (Counter Foil) की सत्यापित छायाप्रति निर्धारित प्ररूप (प्ररूप "5" तथा "6") पर प्रस्तुत की जायेगी;

(च) गो पालन के प्रयोजन हेतु परिवहन के लिये आवेदक द्वारा निम्नलिखित शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जायेगाः–

(एक) प्रस्तावित गो वंश का परिवहन गो हत्या अथवा गो तस्करी के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। किसी भी दशा में इस गो वंश को गो हत्या अथवा गो तस्करी हेतु नहीं उपयोग किया जायेगा;

(दो) आवेदक पूर्व में कभी भी गो वंश की हत्या/तस्करी के प्रकरणों में सम्मिलित नहीं रहा है, न ही उसे कभी भी गो वंश की हत्या/तस्करी हेतु अभियोजित किया गया है और न ही कभी वह इन अपराधों में सहयोगी रहा है;

(तीन) जिस गो वंश को उसके द्वारा राज्य से बाहर परिवहन का प्रस्ताव किया जा रहा है, वह उसकी भली प्रकार देख-रेख करेगा। गो वंश के बीमार पड़ने पर राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्साधिकारी से चिकित्सा व मृत्यु पर शव परीक्षण करायेगा;

(चार) जिस गो वंश को उसके द्वारा राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन का प्रस्ताव किया जा रहा है, वह उसे अपरिचित व्यक्ति को नही बेचेगा। गो वंश को परिचित तथा गो वंश की भलीं प्रकार देख-रेख में सक्षम व्यक्ति को ही बेचेगा। विक्रय किये जाने पर बेचने की रसीद तथा विक्रय के अभिलेख सुरक्षित संरक्षित करेगा;

(पाँच) वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को गो वंश नहीं बेचेगा, जो कि पूर्व में कभी भी गो वंश की तस्करी के प्रकरणों में सम्मिलित रहा हो अथवा अभियोजित किया गया हो अथवा सहयोगी रहा हो;

(छः) सम्बन्धित द्वारा गो वंश के 05 किलोमीटर से अधिक परिवहन की दशा में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन पशु क्रूरता निवारण (पैदल पशु परिवहन नियम, 2000) तथा वाहन से परिवहन किये जाने की दशा में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन पशु परिवहन नियम, 1978 एवं पशु परिवहन (संशोधन) नियम, 2009 के समस्त प्राविधानों का पालन किया जायेगा;

(सात) सम्बन्धित द्वारा उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक गो वंश के राज्य से बाहर परिवहन हेतु ₹ 500.00 प्रति गो वंश की दर से शुल्क राजकीय कोष में जमा कराया जायेगा। तदुपरान्त अनुज्ञा-पत्र प्राप्त होने पर ही गो वंश का परिवहन किया जायेगा।

10. परिवहन की अनुज्ञा का प्रतिषेध–

किसी भी दशा में ऐसे व्यक्ति को परिवहन की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, जिसे स्वयं अथवा जिसके सम्बन्धियों/रिश्तेदारों को पूर्व में कभी भी गो वध अथवा गो वंश के संरक्षण से सम्बन्धित किसी भी अधिनियम के अधीन किसी भी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित होने/सहयोग करने हेतु आरोपित किया गया हो।

11. अभिलेखों का रख-रखाव–

राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन की अनुज्ञा के क्रम में समस्त प्रकरणों के अभिलेखों का रख-रखाव मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

12. पशु का स्वास्थ्य परीक्षण–

प्रत्येक पशु स्वामी द्वारा, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 के अध्यधीन बनाये गये पशु परिवहन नियम, 1978 अथवा पैदल पशु परिवहन नियम, 2001 के अनुसार पशु क्रय से पूर्व प्रत्येक पशु का अनिवार्यरूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी से पैदल परिवहन हेतु उपर्युक्त प्रमाण-पत्र (Fit to move on foot certificate) अथवा वाहन से परिवहन हेतु उपर्युक्त प्रमाण-पत्र (Fit to move on vehicle certificate) प्राप्त कर लिया जाय। इन प्रमाण-पत्रों के प्ररूप वही होंगे, जो कि केन्द्रीय अधिनियम के उक्त नियमों में उपबन्धित किये गये हैं।

13. प्ररूप का प्रस्तुतीकरण–

प्रत्येक प्रकरण में आवेदक द्वारा, निर्धारित "आवेदन प्रपत्र" (प्ररूप "7") के माध्यम से ही आवेदन किया जायेगा तथा समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जायेंगे। अनुज्ञा दिये जाने हेतु जिला अधिकारी को प्रकरण प्रस्तुत किये जाने से पूर्व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा "संस्तुति हेतु निर्धारित प्ररूप-पत्र" (प्ररूप "8") पर आख्या दी जायेगी। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य से बाहर गो वंश का परिवहन उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 6 में उपबन्धित प्राविधानों के अनुरूप गो वंश के संरक्षण अथवा संवर्धन अथवा पालन के प्रयोजन के लिये ही किया जा रहा है तथा किसी भी दशा में गो वंश के परिवहन उपरान्त गो हत्या अथवा गो तस्करी की आशंका नहीं है।

14. जाँच चौकियों द्वारा जाँच–

(1) पुलिस विभाग, व्यापार कर विभाग, जिला पंचायत अथवा अन्य सरकारी विभागों की जाँच/निगरानी चौकियों द्वारा राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन की अनुमति तब ही दी जाय जबकि आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 6 प्राविधानों के अनुरूप ₹ 500.00 प्रति गो वंश की दर से शुल्क जमा कराने के उपरान्त, जिलाधिकारी से "अनुज्ञा-पत्र" (प्ररूप "9") प्राप्त कर लिया गया हो।

(2) प्रत्येक जाँच/निगरानी चौकी द्वारा विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वाहन द्वारा गोवंश का परिवहन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 के अन्तर्गत बनाये गये पशु परिवहन नियम, 1978 एवं पशु परिवहन नियम (संशोधन), 2009 के प्राविधानों के अनुसार किया जा रहा है।

15. पशुओं के पैदल परिवहन की सीमा–

प्रत्येक जाँच/निगरानी चौकी द्वारा गो वंश के पैदल परिवहन की दशा में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय कि गो वंश का पैदल परिवहन पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 के अधीन बनाये गये पशु क्रूरता निवारण (पैदल पशु परिवहन नियम, 2000) के प्राविधानों के अनुरूप है।

16. गो वंश की तस्करी पर दायित्व–

जाँच/निगरानी चौकी द्वारा गो वंश की राज्य से बाहर तस्करी के प्रकरणों पर लापरवाही अथवा मिलीभगत होने पर जाँच/निगरानी चौकी के कार्मिकों को भी उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 11(2) के अधीन दण्डित किया जायेगा।

17. गो वंश का जब्तीकरण–

विधिमान्य अनुज्ञा-पत्र के बिना राज्य से बाहर परिवहन किये जा रहे गो वंश को जब्त कर लिया जायेगा और उन्हें गो सदनों में रखा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, जो अनाधिकृत परिवहन कराता है, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन दण्डित किया जायेगा।

18. गो वंश पालन हेतु गो वंश का पंजीकरण–

शहरी क्षेत्र में गो वंश के पालन के लिये स्वामी को अपने नगर के मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी से अपने गो वंश के पंजीकरण हेतु निर्धारित (प्ररूप "10") पर आवेदन करना होगा।

19. आवेदन-पत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना–

मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी प्राप्त आवेदन-पत्र यथाशीघ्र आवेदनकर्ता के क्षेत्र से सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी को अग्रसारित करेगा और आवेदनकर्ता से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपने क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी से गो वंश का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (प्ररूप "11"), तीन प्रतियों में एवं आवेदन-पत्र मूलरूप में उपलब्ध करायें।

20. पहचान एवं चिन्हीकरण–

प्रत्येक गो वंश की व्यक्तिगत पहचान चिन्ह का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किये जाने एवं गो वंश के स्वास्थ्य की स्थिति प्रमाणित कर लिये जाने हेतु सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा आवेदक के गो वंश के कान में इयर टैग अथवा अन्य बेहतर तकनीक का प्रयोग कर चिन्हीकरण किया जायेगा। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र में इयर टैग नम्बर को अभिलिखित किया जायेगा। पशुपालन विभाग द्वारा सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारियों को इस प्रयोजन हेतु इयर टैग उपलब्ध कराया जायेगा।

21. शुल्क–

स्वामी द्वारा सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी को अपने प्रत्येक गो वंश के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

22. पंजीकरण–

(1) मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पशुपालक को उसके प्रत्येक पशु से सम्बन्धित पंजीकरण प्रमाण-पत्र (प्ररूप "12"), जिसमें इयर टैग नम्बर को पशु पंजीकरण संख्या के रूप में अंकित किया गया हो, जारी करेंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा।

(2) मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक स्वामी एवं उसके पंजीकृत गो वंश का पूर्ण विवरण, गो वंश पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

23. इयर टैग खोने की स्थिति में पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया–

यदि पंजीकृत गो वंश के कान का इयर टैग खो जाता है तो स्वामी द्वारा इसकी सूचना लिखित रूप में तुरन्त मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को दी जायेगी और ऐसे गो वंश के पुनः पंजीकरण की कार्यवाही नियम, 20 एवं 21 के अध्यधीन की जायेगी।

24. दण्ड–

यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन दंडित किया जा सकेगा।

25. गायों की देख-रेख हेतु संस्थाओं की स्थापना–

(1) अलाभकर गो वंश की देख-रेख के लिये संस्था स्थापित करने हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसी गैर सरकारी संस्थाओं के आवदेन-पत्र स्वीकार्य होंगे जो कि–

(क) गो वंश तथा अन्य पशुओं के कल्याण हेतु पंजीकृत संस्था हो;

(ख) बिना लाभ अर्जन हेतु गो वंश के कल्याण हेतु पंजीकृत धर्मार्थ संस्था हो; अथवा

(ग) विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास हो;

परन्तु यह कि गो सेवा/गो वंश कल्याण कार्यों में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव तथा योग्यता क्षमता वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) ऐसी संस्थाओं, जिनके पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो, उपलब्ध भूमि विवादग्रस्त न हो तथा भूमि संस्था के कब्जे में हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। संस्था द्वारा प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित न किये जाने और भूमि के पट्टे पर लेने की दशा में भूमि आगामी 30 वर्षों तक पट्टे पर उपलब्ध होने के लिखित अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(3) संस्था को निर्धारित आवेदन-पत्र के माध्यम से आवेदन सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से करना होगा (प्ररूप "13"):

परन्तु यह कि यदि संस्था में भूमि स्वामित्व निहित न हो किन्तु संस्था आगामी 30 वर्षों तक भूमि उपलब्धता की सुनिश्चितता लिखित अभिलेखों (भूमि/भवन किराये/दान पर उपलब्ध कराये जाने का नोटरी से सत्यापित अनुबन्ध-पत्र) के आधार पर संस्था को तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अस्थायी निर्माण (टिन शेड्स) हेतु अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

26. अनुदान–

गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अलाभकारी गो वंश हेतु संस्थाओं की स्थापना हेतु राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाने के लिये संस्थाओं द्वारा शरणागत गो वंश की संख्या के आधार पर ही उन्हें राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। समस्त प्रकरण निम्नलिखित छः वर्गों में बाँट लिए जायेंगेः–

(क) मैदानी क्षेत्र में 50 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था;
(ख) मैदानी क्षेत्र में 100 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था;
(ग) मैदानी क्षेत्र में 200 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था;
(घ) पर्वतीय क्षेत्र में 50 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था;
(ङ) पर्वतीय क्षेत्र में 100 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था;
(च) पर्वतीय क्षेत्र में 200 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था;

परन्तु यह कि यदि संस्था द्वारा वर्तमान में 50 गो वंश को शरण दी गयी है तो प्रथम चरण में उस संस्था को कुल 50 गो वंश की क्षमता वाली संस्था की स्थापना हेतु ही राजकीय सहायता अनुदान की स्वीकृति की जा सकेगी। इसी प्रकार 50 से अधिक किन्तु 100 से कम गो वंश को शरण देने वाली संस्थाओं को प्रथम चरण में 100 गो वंश की क्षमता वाली संस्था की स्थापना हेतु ही राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत की जा सकेगी तथा 100 से अधिक किन्तु 200 से कम गो वंश को शरण देने वाली संस्थाओं को प्रथम चरण में 200 गो वंश की क्षमता वाली संस्था की स्थापना हेतु ही राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत की जा सकेगी।

27. अनुदान का वर्गीकरण–

समस्त अनुदान नियम, 26 के अधीन छः वर्गों में ही स्वीकृत किये जायेंगे। सम्बन्धित संस्था को प्रारम्भ में, उल्लिखित स्थान पर प्रस्तावित निर्माण का साइट प्लान ले-आउट का आरम्भिक आगणन प्रस्तुत करना होगा। नीतिगत रूप से निर्माण किये जाने के लिये निर्णय हो जाने के उपरान्त आवेदक को साइट प्लान ले-आउट का ब्लू प्रिन्ट तथा मदवार वृहद् आगणन प्रस्तुत करना होगा। यह आगणन लोक निर्माण विभाग की राजकीय कार्यों हेतु अनुमन्य दरों पर तद्नुसार दरें प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत किये जायेंगे।

28. गो सदनों का संचालन–

सम्बन्धित संस्था द्वारा राजकीय सहायता से स्थापित/निर्मित भवन अथवा क्रय किये गये उपकरणों/सामग्री को किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा और यदि संस्था द्वारा गौ सदनों का संचालन उसकी क्षमता के अनुरूप नहीं किया जाता है तो निर्मित भवन/उपकरणों का उपयोग सरकार द्वारा किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा।

29. आवेदन-पत्रों की जाँच–

(1) समस्त आवेदन प्रकरणों की सक्षम अधिकारियों के माध्यम से जाँच करायी जायेगी। सम्यक् जाँचोपरान्त निम्नलिखित चयन समिति द्वारा राजकीय सहायता अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगाः–

(क) मंत्री पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार	–अध्यक्ष
(ख) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग	–सदस्य
(ग) सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	–सदस्य
(घ) विभागाध्यक्ष, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	–सदस्य
(ङ) सचिव, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग	–सदस्य सचिव
(च) सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड	–सदस्य।

(2) संस्थाओं के चयन के क्रम में चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा। समिति को किसी भी आवेदन-पत्र को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

30. आर्थिक सहायता हेतु अनुबन्ध–

राजकीय आर्थिक सहायता दिये जाने से पूर्व संस्था को न्यूनतम 5 वर्षों हेतु प्रभावी अनुबन्ध-पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। अनुबन्ध की शर्तों का पालन न किये जाने की स्थिति में समस्त आर्थिक सहायता अनुदान राशि ब्याज सहित वापस राजकोष में जमा करानी होगी। अनुबन्ध-पत्र में निम्नलिखित शर्तें उल्लिखित किया जाना आवश्यक होगाः–

(एक) प्रस्तावित भूमि विवादग्रस्त नहीं है और नही उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई राजपत्र में अधिसूचित किया गया है तथा भूमि संस्था के कब्जे में है। भूमि के पट्टे पर होने की दशा में आगामी 30 वर्षों तक की उपलब्धता तथा प्राप्त राजकीय सहायता अनुदान धनराशि से भूमि का क्रय नहीं किये जाने सम्बन्धी शर्त;

(दो) संस्था गो वंश के उचित रख-रखाव, आवास व्यवस्था, चारा-दाना, भूसा-पानी की व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होने की शर्तें;

(तीन) संस्था निर्धारित गो वंश संख्या तक गो वंश को रखने/स्वीकार करने हेतु बाध्यता की शर्त;

(चार) संस्था द्वारा बीमार गो वंश का उपचार, स्थानीय राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्साधिकारी द्वारा सम्पन्न कराये जाने की बाध्यता की शर्त;

(पाँच) निर्माण/भवनों के प्रबन्धन के उत्तरदायित्व को संस्था द्वारा वहन किये जाने की शर्त;

(छः) संस्था द्वारा राजकीय सहायता अनुदान धनराशि से निर्मित भवनों का उपयोग सहमति-पत्र में उल्लिखित प्रयोजनों/अनुदान हेतु आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु किये जाने की शर्त;

(सात) संस्था निर्माण हेतु दी गयी सहायता अनुदान धनराशि से निर्मित भवनों/निर्माण का विक्रय न करने तथा उसे किराये पर न देने की शर्त;

(आठ) संस्था द्वारा प्राप्त की गयी सहायता अनुदान धनराशि का लेखा-जोखा पृथक् से रखे जाने, पृथक् बैंक खाता खोले जाने, शासन के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग के अधिकारी, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के अधिकारी तथा चयन समिति के मा0 सदस्यगणों द्वारा उक्त लेखा-जोखा को सदैव निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराये जाने की शर्त ;

(नौ) संस्था द्वारा निर्माण कार्य सहायता अनुदान धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त दो वर्ष के अन्दर पूर्ण करा लिये जाने, स्वीकृत मदों में ही सहायता अनुदान धनराशि का सदुपयोग किये जाने, निर्माण कार्य पूरा होने के उपरान्त स्वीकृत साइट प्लान ले-आउट तथा स्वीकृत आगणन के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये जाने हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त;

(दस) संस्था द्वारा निर्माण कार्यपूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्यों पर हुए व्यय अभिलेख प्राधिकृत लेखा सम्परीक्षक द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जाने की शर्त;

(ग्यारह) संस्था द्वारा निर्माण कार्यों तथा संस्था के अन्य कार्यों की प्रगति के बावत नियमितरूप से मासिक प्रगति सूचना सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने की शर्त;

(बारह) संस्था द्वारा संस्था के लेखों का सम्परीक्षा (Audit) कराये जाने की शर्त;

(तेरह) वित्तीय वर्ष समाप्ति पर संस्था के लेखे-जोखे का पूर्ण विवरण सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने की शर्त;

(चौदह) अनुबन्ध की शर्तें पालन न करने की स्थिति में संस्था द्वारा समस्त राजकीय सहायता अनुदान धनराशि ब्याज सहित वापस राजकीय कोष में जमा करने की शर्त;

(पन्द्रह) संस्था द्वारा बिना पूर्वानुमति के स्वीकृत योजना में आमूल-चूल परिवर्तन न करने की शर्त;

(सोलह) समय-समय पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों, महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं अन्य राजकीय प्राधिकारियों द्वारा संस्था का निरीक्षण किये जाने तथा इस हेतु सहयोग दिये जाने की शर्त;

(सत्रह) किसी भी विवाद की दशा में विभागाध्यक्ष, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होने की शर्त; तथा

(अठारह) किसी भी विवाद की निपटारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत आने वाले न्यायालय में ही किया जा सकने की शर्त।

31. अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण–

निर्माण कार्य पूर्ण होने की दशा में आवेदक संस्था को निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होंगेः–

(क) स्वीकृत साइट प्लान ले-आउट तथा स्वीकृत आगणन के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र;

(ख) निर्माण कार्यों पर हुए व्यय अभिलेखों का प्राधिकृत लेखा सम्परीक्षक द्वारा सम्परीक्षा प्रमाण-पत्र।

32. अलाभकारी पशुओं का भरण-पोषण–

अलाभकारी गो वंश को संस्थाओं में रखे जाने पर, उसके परिवहन, भरण-पोषण और चिकित्सा व्यय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विहित की जाने वाली दरों पर गो वंश के स्वामी द्वारा सम्बन्धित संस्था को भुगतान करना होगा।

अनुसूची

प्ररूप "1"

रोगों के प्रमाण-पत्र के लिये प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

पशु चिकित्साधिकारी,

.....

महोदय,

प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे पशु ..... का (यहाँ पर पशुओं, रंग तथा आयु का वर्णन) जिसके विषय में यह सन्देह है कि वह विज्ञिप्त सांस्पर्शिक/सांसर्गिक रोग से पीड़ित है अथवा असाध्य रोग व पीड़ाजनक परिस्थिति में है, परीक्षण कीजिये और मुझे अपेक्षानुसार उक्त ..... को दया मृत्यु देने के लिये एक प्रमाण-पत्र जारी कर दीजिये।

भवदीय,

नाम.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक..... पता.....

(पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा)

पशु का परीक्षण करने के लिये निश्चित दिनांक और स्थान.....प्रार्थी को.....द्वारा दिनांक.....को सूचित किया गया।

दिनांक जब और स्थान, जहां पर पशु का परीक्षण किया गया था.....

निष्कर्ष

पशु ..... रोग से पीड़ित है/पीड़ित नहीं है। निम्नलिखित कारणों से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है।

_____

_____

_____

दिनांक..... पशु चिकित्साधिकारी,

जिला.....

प्ररूप "2"

मैं, ... जो ..... का पशु चिकित्साधिकारी हूँ, ने ..... की जाँच कर ली है और मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ..... विज्ञिप्त सांस्पर्शिक/सांसर्गिक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है और उसको दया मृत्यु दी जा सकती है।

दिनांक .....

पशु चिकित्साधिकारी।

प्ररूप "3"

दया मृत्यु की सूचना

सेवा में,

पशु चिकित्साधिकारी,

.....

.....

महोदय,

यह सूचना दी जाती है कि ..... का वध.....

दिनांक ..... को समय ..... (स्थान का नाम) के भू-गृहादि में पशु चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र संख्या ..... दिनांक ..... के आधार पर किया गया है।

दिनांक .....

.....

पशु स्वामी के हस्ताक्षर

पता .....

(प्ररूप "4")

गो पालन के प्रयोजनार्थ, राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन में प्रकरण की सत्यता की जाँच का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि,

आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के प्राविधानों के अनुरूप प्रस्तावित पशुओं के परिवहन की अनुज्ञा दिये जाने हेतु समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत कर दिये गये हैं/नहीं किये गये हैं।

आवेदक की पहचान के क्रम में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच करा ली गयी है तद्नुसार श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील..... जनपद ..... वाले की पहचान सत्यापित की जाती है।

गो पालन के प्रयोजनार्थ, राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन के प्रयोजन की सत्यता जाँच हेतु अभिलेखों (किसान बही अथवा अन्य अभिलेखों) की जाँच करा ली गयी है। सत्यापन उपरान्त पुष्टि हो गयी है कि, गो वंश के परिवहन का प्रस्ताव दुग्ध उत्पादन अथवा संतति उत्पादन अथवा कृषि कार्यों अथवा अन्य कर्षण कार्यों हेतु ही किया जा रहा है।

आवेदक के गृह क्षेत्र के पुलिस थाने द्वारा निर्गत उस अभिलेख की जाँच करा ली गयी है कि, वह पूर्व में कभी भी गो वंश की हत्या अथवा तस्करी के प्रकरणों में सम्मिलित नहीं रहा है।

तद्नुसार आवेदक द्वारा गो वंश को गो हत्या अथवा गो तस्करी हेतु उपयोग न किये जाने के क्रम में शपथ-पत्र ले लिया गया है। इस प्रकरण में गो वंश के वध अथवा तस्करी हेतु उपयोग में लाये जाने की आशंका नहीं प्रतीत होती है।

गो वंश राज्य से बाहर परिवहन की दशा में उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के अधीन अनुज्ञा दिये जाने की संस्तुति की जाती है/नहीं की जाती है।

(हस्ताक्षर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट)

नाम .....

मुहर .....

(प्ररूप "5")

मान्यता प्राप्त पशु मेले से गो वंश क्रय किये जाने पर पशु बेचनामें प्रतिपर्ण (रवन्ना–Counter Foil) का प्ररूप–

पशु मेला आयोजक संस्था का नाम .....

पशु मेले का नाम ..... आयोजन स्थान .....

पशु मेला आयोजन की तिथि/अवधि ..... प्रतिपर्ण संख्या .....

पशु स्वामी (विक्रेता) के बारे में सूचना	पशु खरीददार की सूचना	पशु का हूलिया	वयस्क मादा पशु के साथ शिशु की सूचना	सम्बन्धित विभागों द्वारा अभिलेखीकरण
नाम ..... पंजीकरण संख्या ..... पिता का नाम..... ग्राम ..... डाकघर ..... वि0ख0 ..... तहसील ..... जिला ..... प्रदेश ..... विक्रेता के उंगली के निशान अथवा हस्ताक्षर	नाम ..... पंजीकरण संख्या ..... पिता का नाम..... ग्राम ..... डाकघर ..... वि0ख0 ..... तहसील ..... जिला ..... प्रदेश ..... खरीददार की उंगली के निशान अथवा हस्ताक्षर	जाति ..... पंजीकरण संख्या ..... नस्ल ..... लिंग ..... ब्यात ..... आयु ..... रंग ..... सींग ..... पूंछ ..... अन्य पहचान चिन्ह	जाति ..... पंजीकरण संख्या ..... नस्ल ..... लिंग ..... आयु ..... रंग ..... सींग ..... पूंछ ..... अन्य पहचान चिन्ह	पशुपालन विभाग के अस्थायी शिविर का प्रमाण-पत्र क्रमांक वन विभाग के अस्थायी शिविर की वन चुगान पंजीकरण संख्या ..... राजस्व विभाग के अस्थायी शिविर द्वारा खरीददार का पहचान-पत्र, किसान बही, क्रय का प्रयोजन पर जांच अधिकारी द्वारा जांच पंजीकरण संख्या ..... पशु का मूल्य.....
		गर्भावस्था स्थिति		

आयोजक विभाग के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

मुहर .....

(प्ररूप "6")

पशु स्वामी के द्वार से गो वंश क्रय किये जाने पर पशु बेचनामें प्रतिपर्ण (रवन्ना – Counter Foil) का प्ररूप

पशु स्वामी (विक्रेता) के बारे में सूचना	पशु खरीददार की सूचना	पशु का हुलिया	व्यस्क मादा पशु के साथ शिशु की सूचना	सम्बन्धित विभागों द्वारा अभिलेखीकरण
नाम.....	नाम.....	जाति.....	जाति.....	गवाह सं0 1 :
पंजीकरण	पंजीकरण	पंजीकरण	पंजीकरण	हस्ताक्षर :
संख्या.....	संख्या.....	संख्या.....	संख्या.....	नाम :
पिता का नाम.....	पिता का नाम.....	नस्ल.....	नस्ल.....	पुत्र श्री :
ग्राम.....	ग्राम.....	लिंग.....	लिंग.....	पता :
डाकघर.....	डाकघर.....	ब्यात.....	आयु.....	
वि0ख0.....	वि0ख0.....	आयु.....	रंग.....	गवाह सं0 2 :
तहसील.....	तहसील.....	रंग.....	सींग.....	हस्ताक्षर :
जिला.....	जिला.....	सींग.....	पूंछ.....	नाम :
प्रदेश.....	प्रदेश.....	पूंछ.....	अन्य पहचान चिन्ह	पुत्र श्री :
विक्रेता के उंगली के निशान अथवा हस्ताक्षर	खरीददार की उंगली के निशान अथवा हस्ताक्षर	अन्य पहचान चिन्ह		पता : पशु का मूल्य.....
		गर्भावस्था स्थिति		

(प्ररूप "7")

उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 13 (2ख) के अधीन राज्य से बाहर गो वंश के परिवहन के लिये अनुमति-पत्र के लिये आवेदन-पत्र

सेवा में,

जिला अधिकारी–जनपद .....

(अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी)

महोदय,

मैं, ...पुत्र श्री.....निवासी ग्राम.....डाकघर.....थाना ..... तहसील ..... जिला ..... (फोटो पहचान-पत्र अथवा परिचय-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न) स्थान ..... से .....तक (गन्तव्य का पता) गो वंशीय पशु जिसका रंग ..... आयु ..... ब्यात ..... (पूर्ण विवरण तथा स्वास्थ्य स्थिति के क्रम में पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन निर्गत परिवहन हेतु उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित हैं) के परिवहन के लिये अनुमति-पत्र प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। ये पशु स्वामी श्री .... निवासी..... ग्राम ..... डाकघर ..... तहसील ..... जिला ..... वाले से क्रय किये गये हैं (बेचनामें की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है)।

पशु का परिवहन ..... के प्रयोजन के लिये किया जा रहा है। इस क्रम में–

प्रयोजन–"पशु संरक्षण" की स्थिति में पशु कल्याण संस्था के रूप में मान्यता प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति, संस्था के संक्षिप्त परिचय एवं गौ कल्याण के क्षेत्र में उपलब्धियों के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

अथवा

प्रयोजन–"गो संवर्धन" की स्थिति में योजना का नाम.....वित्त पोषक संस्था का नाम..... संवर्धन योजना का राजकीय वित्त पोषण न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा योजना की समुचित जानकारी के क्रम में अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रेषित है।

अथवा

प्रयोजन–"गोपालन" की स्थिति में किसान बही की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित छायाप्रति तथा किसी भी दशा में अन्जान व्यक्ति को गो पशु को न बेचे जाने, बिक्री की दशा में गो पशु विक्रय के सभी अभिलेख सुरक्षित रखने, पूर्व में गो हत्या/तस्करी/पशु क्रूरता से सम्बन्धित अपराध प्रकरणों में अभियुक्त न होने, गो पशु की बीमारी की दशा में अपने क्षेत्र के राजकीय पशु चिकित्सालय से समुचित पशु चिकित्सा कराये जाने तथा मृत्यु की दशा में अपने क्षेत्र के राजकीय पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशु शव परीक्षण कराये जाने का शपथ-पत्र जो कि, दो गो वंश के संरक्षण हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा साक्षी के रूप में हस्ताक्षरित है, प्रेषित है।

भवदीय,

(.....)

आवेदक के हस्ताक्षर.....

नाम तथा पूर्ण पता.....

टिप्पणी–यदि अनुमति-पत्र मंजूर नहीं किया जाता, तो इसका कारण आवेदन पर अभिलिखित किया जाये।

(प्ररूप "8")

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा "संस्तुति" हेतु निर्धारित "प्ररूप-पत्र"

1. पशु परिवहन कर भेजने वाले का नाम एवं पता :

2. पशु प्राप्त करने वाले का नाम एवं पता :

3. वाहन स्वामी/परिवहन संस्था का नाम एवं पता वाहन संख्या :

4. क्या पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशु के परिवहन हेतु उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया है। स्पष्ट करें कि–

   परिवहन हेतु प्रस्तावित पशु संक्रामक रोग से मुक्त है तथा परिवहन हेतु स्वस्थ है–

   (क) परिवहन हेतु प्रस्तुत कोई भी पशु परिवहन हेतु अस्वस्थ नहीं है अर्थात् कोई भी पशु नवजात नहीं है अथवा बीमार नहीं है अथवा अंधा नहीं है अथवा कमजोर नहीं है अथवा अत्यधिक थका हुआ नहीं है तथा पिछले 72 घण्टे में किसी भी मादा पशु ने नवजात शिशु को जन्म नहीं दिया है तथा परिवहन के समय यात्रा मार्ग पर किसी भी मादा पशु द्वारा नवजात शिशु को जन्म देना अपेक्षित नहीं है:

   (ख) गर्भित मादा पशुओं तथा शिशु पशुओं को यात्राकाल में अन्य पशुओं के साथ मिला कर नहीं रखा गया हैं:

   (ग) अलग-अलग प्रजाति/आयुवर्ग/लिंग के अनुसार पशुओं को पृथक्-पृथक् रखकर ले जाने की व्यवस्था की गयी है:

   (घ) बीमार पशुओं को अन्य पशुओं के साथ मिलाकर नहीं रखा गया है:

   (ङ) उत्तेजित तथा समस्या पैदा करने वाले नियंत्रण हेतु कठिन पशुओं को वाहन पर चढ़ाने से पूर्व ट्रांक्विलाइजर इन्जेक्शन दे दिया गये हैं:

5. पशुओं के परिवहन का प्रयोजनः

6. आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न अन्य अभिलेखों की सूची–

   (क)

   (ख)

   (ग)

   (घ)

   (ङ)

   (च)

   (छ)

   (ज)

   (झ)

   (ञ)

7. क्या पशुओं को यात्रा काल में भोजन, पेयजल, विश्राम तथा दुधारू पशुओं में दूध दुहने की व्यवस्था कर ली गयी हैः
8. पशु परिवहन प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तावित समय, तिथि वाहनः
9. यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले विभिन्न स्थानों के नाम तथा उन स्थानों पर सम्भावित आगमन तथा प्रस्थान का समय एवं तिथिः

क्र0 सं0	तिथि	स्थान	पहुँचने का अपेक्षित समय	प्रस्थान का अपेक्षित समय
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

10. भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षण हेतु प्रस्तावित स्थान :

आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित समस्त प्रपत्र मेरी जानकारी अनुसार सत्य हैं। समस्त केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियमों, नियमों तथा शासनादेशों का अनुपालन किये जाने की शपथ ली जाती है।

आवेदक के हस्ताक्षर।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि–

गो वंश के परिवहन हेतु प्रस्तावित पशुओं को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन पशु चिकित्साधिकारी द्वारा "परिवहन उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र" निर्गत कर दिया गया है/नहीं किया गया है।

आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के प्राविधानों के अनुरूप प्रस्तावित पशुओं के परिवहन की अनुज्ञा दिये जाने हेतु समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत कर दिये गये हैं/नहीं किये गये हैं तथा आवेदक की पहचान तथा गो वंश के राज्य से बाहर परिवहन के प्रयोजन की सत्यता हेतु अभिलेखों की जाँच राजस्व विभाग द्वारा करा ली गयी है।

गो वंश राज्य से बाहर की दशा में उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के अधीन अनुज्ञा दिये जाने की संस्तुति की जाती है/नहीं की जाती है।

(मुख्य पशु चिकित्साधिकारी)

जनपद .....

(प्ररूप "9")

गो वंशीय पशु के परिवहन के लिये अनुज्ञा-पत्र

श्री.....पुत्र श्री..... निवासी.....

..... डाकखाना..... पुलिस थाना..... जनपद.....को एतद्द्वारा.

.....प्रयोजन के लिये.....से..... तक

(गन्तव्य स्थान का पता) रेल/सड़क द्वारा.....गाय/सांड/बैल का (पशुओं का संक्षिप्त विवरण) परिवहन करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक एवं मुहर।

(प्ररूप "10")

गौ वंश के पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका/नगर निगम,
जनपद.....।

महोदय,

मैं, ... पुत्र श्री ..... निवासी ..... डाकखाना ..... पुलिस थाना ..... जनपद ..... अपने निम्नलिखित गौ वंशीय पशुओं का पंजीकरण करने के लिये अनुरोध करता हूँ।

गौ वंशीय पशुओं का विवरण–

1.

2.

3.

4.

5.

भवदीय,

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर।

(प्ररूप "11")

पशु चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

पशु के स्वामी का नाम..... पशु स्वामी के पिता का नाम.....

पता..... मकान नं0..... डाकखाना..... पुलिस थाना.....

जनपद..... फोन नम्बर.....

पशु का विवरण

क्र0 सं0	पशु	लिंग	टैग नं0	नस्ल	रंग एवं आयु	प्राकृतिक चिन्ह

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त वर्णित पशुओं के स्वास्थ्य की जांच की एवं उन्हें पूर्णरूप से स्वस्थ पाया एवं उनके कान में उपरोक्तानुसार इयर टैग लगाये।

दिनांक.....

पशु चिकित्साधिकारी का नाम.....

पता.....

कार्यालयी मुहर हस्ताक्षर।

(प्ररूप "12")

गौ वंश के पंजीकरण हेतु प्रमाण-पत्र

श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी .....

डाकखाना ..... पुलिस थाना ..... जनपद ..... के गौ वंशीय पशुओं को पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय चिकित्सालय ..... द्वारा जारी किये गये पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संख्या ..... के अनुसार निम्नलिखित रूप से पंजीकृत किया जाता है।

क्र0 सं0	पशु	लिंग	टैग संख्या

मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी

अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक और मुहर।

(प्ररूप "13")

अलाभकर गायों की देख-रेख हेतु गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संस्था की स्थापना हेतु आवेदन-पत्र

1. संस्था का परिचय–

   नाम

   पता

   पिन कोड

   दूरभाष/एस0टी0डी0 कोड

   फैक्स

   ई–मेल

2. संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम एवं पते :

3. क्या संस्था भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है?
   यदि हाँ तो कोड संख्या :

4. क्या आपकी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट अथवा विदेशी सहायता एक्ट के अधीन पंजीकृत है ?
   यदि हाँ तो–
   (क) कृपया पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।
   (ख) पंजीकरण कार्यालय :
   (ग) पंजीकरण संख्या :
   (घ) पंजीकरण तिथि :

5. संस्था का स्थापना वर्ष/नियमावली की सत्यापित छायाप्रति/ :

6. भूमि :
   (क) कुल भूमि उपलब्धता :
   (ख) क्या भूमि आपकी संस्था के नाम पंजीकृत है?
   यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
   (ग) क्या भूमि आपकी संस्था के नियंत्रणाधीन है?
   यदि हाँ तो कृपया स्पष्ट करें कब से उक्त भूमि आपके नियंत्रणाधीन है।
   (घ) किस प्रकार भूमि अर्जित की गयी? तद्नुसार अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें :

- क्रय से अर्जित की गयी?
- दान से अर्जित की गयी?
- न्यूनतम 30 वर्ष के पट्टे से अर्जित की गयी?
- राजकीय भूमि?
- स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि?

(ङ) क्या आपकी भूमि में परिसर दीवार अथवा आयरन फैंसिंग करा ली गयी है?

(च) बड़े पशुओं के गौचर हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

(छ) छोटे पशुओं के भ्रमण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

7. गत तीन वर्षों का आय-व्यय लेखा :

8. उपलब्ध पशु चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा संसाधन :

(क) पशु चिकित्सक : हां/नहीं
यदि हां तो संख्या, उपलब्धता–पूर्ण कालिक/अंशकालिक/संविदा पर/निस्वार्थ सेवा

(ख) पैरा वैटनरी स्टॉफ : हां/नहीं
यदि हां तो संख्या, उपलब्धता–पूर्ण कालिक/अंशकालिक/संविदा पर/निस्वार्थ सेवा

(ग) औषधालय : हां/नहीं

(घ) लिफ्टिंग वैन/एम्बुलेंस की उपलब्धता : हां/नहीं

9. पशुओं हेतु चारा/भोजन का स्रोत एवं भण्डारण सुविधा–

पशुओं हेतु चारागाह की सुविधा –

सूखे चारे के स्रोत –

परिसर में उपलब्ध चारा वृक्षों की संख्या? औसत उत्पादकता?

परिसर में चारा घासों का रोपित क्षेत्रफल? औसत उत्पादकता?

चाराचरी की उपलब्धता – संख्या –

भूसा स्टोर कक्षों की व्यवस्था – संख्या एवं साइज –

अन्य चारे हेतु स्टोर कक्षों की व्यवस्था संख्या एवं साइज –

चैप कटर की उपलब्धता – संख्या –

10. अन्य संसाधन एवं अन्य सुविधायें–

बिजली –

बल्ब –

ट्यूब लाइट –

पंखे –

ट्यूबवैल/बोर वैल/मोटराइज्ड पम्प –

मोटराइज्ड चैपकटर –

पेय जल स्रोत –

(कुआं/बोर वैल/हैंड पम्प/प्राकृतिक स्रोत/नहर/नदी/पेय जल संयोजन)

पेय जल संग्रहण की सुविधा–

ओवर हैड टैंक – संख्या क्षमता –

स्टोरेज टैंक (सीमेन्ट) – संख्या क्षमता –

स्टोरेज टैंक (प्लास्टिक) – संख्या क्षमता –

पानी पीने की नांद – संख्या

नाली की व्यवस्था

मूत्र संग्रह की व्यवस्था

गोबर संग्रह की व्यवस्था

चारा पिट्स की व्यवस्था

स्वच्छता एवं सफाई की दशा :

भोजन पकाने/तैयार करने हेतु बर्तन आदि की सुविधायें :

11. कार्यालय अभिलेखों का विवरण–

कार्यालय पंजिकाओं के शीर्षक :

कार्यालय फाइलों के शीर्षक :

अन्य अभिलेख :

12. वर्तमान में आपकी संस्था की देख-रेख में कुल कितने पशु हैं?
(विवरण संलग्नक–1 के अनुसार)

13. क्या आपकी संस्था में गोबर गैस का सदुपयोग प्रारम्भ कर दिया गया है? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

14. क्या आपकी संस्था ने क्या वर्मी कल्चर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है?

15. क्या आपकी संस्था में गौमूत्र शोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

16. गत वर्षों में आपकी संस्था द्वारा बचाये गये पशुओं का विवरण :
(समाचार-पत्रों की पेपर कटिंग्स/फोटो ग्राफ्स/वी0सी0डी0 संलग्न कर प्रस्तुत करें)

17. संस्थान में पशुओं को रखने की क्षमता हेतु विवरण संलग्नक-1 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

18. संस्था में कर्मचारियों का विवरण संलग्नक-2 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

19. संस्था के अभिलेखों की छायाप्रतियाँ संलग्नक-3 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

मैं/हम ने अलाभकारी गायों की देख-रेख के लिये संस्था की स्थापना हेतु समस्त शर्ते एवं अनुमन्यतायें भलीभांति पढ़ ली हैं व मुझे/हमें सभी शर्ते स्वीकार्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

नोट–जहां कहीं लागू न हो विशेष कर नयी संस्थाओं के विषय में वहां कृपया लिखें "लागू नहीं"।

संलग्नक–1

शरणागत पशुओं का विवरण

क्रम सं0	पशुओं के प्रकार व नस्ल	वयस्क		बच्चे		योग
		नर	मादा	नर	मादा	
1.	गोवंशीय पशु (भारतीय नस्ल)					
2.	गोवंशीय पशु (विदेशी नस्ल)					
3.	अन्य पशु					
	कुल शरणागत पशु					
अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता (वर्ग फुट)		..... वर्ग फुट (गो पशुओं हेतु) ..... वर्ग फुट (अन्य पशुओं हेतु)				

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

संलग्नक–2

उपलब्ध कार्मिकों का विवरण

भाग–1 (गत वर्ष .....)

1. संस्था का नाम :

2. संस्था का पता :

3. वर्ष

4. विवरण :

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम व पता	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	अवधि	प्रतिमाह वेतन	गत वर्ष किया गया कुल वेतन भुगतान	टिप्पणी

भाग–2 (चालू वर्ष हेतु) :–

यदि गत वर्ष की तुलना में उसी वर्ष कोई परिवर्तन हुए हों तो उल्लिखित करें।

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

संलग्नक–3

गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अलाभकारी गायों की देख-रेख के लिये संस्था की स्थापना हेतु संस्था के अभिलेखों की सूची

1. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र
2. विस्तृत प्रस्ताव एवं अलाभकारी गायों की देख-रेख हेतु संस्था के निर्माण का औचित्य
3. सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति
4. संस्था का स्मृति-पत्र की सत्यापित छायाप्रति
5. संस्था की नियमावली की सत्यापित छायाप्रति
6. साईट प्लान/ब्लू प्रिन्ट जो कि स्थानीय निकाय के द्वारा स्वीकृत हों।
7. भूमि के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति (भूमि की रजिस्ट्री अथवा पट्टे अथवा पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति। भूमि कम से कम 30 वर्ष हेतु पट्टे पर ली गयी हो।)
8. संस्था के नाम पर भूमि के पंजीकरण के रजिस्टर अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति।
9. स्थानीय निकायों को प्राधिकृत अधिकारी स्तर से अलाभकारी गायों की देख-रेख हेतु, संस्था बनाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (मूल प्रति)।
10. अलाभकारी गायों की देख-रेख हेतु, संस्था बनाये जाने हेतु धनराशि का मदवार आवंटन लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जाए (मूल रूप में)।
11. संस्था की अधिशासी समिति तथा सामान्य कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची (नाम, पता, दूरभाष संख्या)।
12. संस्था के गत वर्ष के आय-व्यय लेखा का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित निम्न अभिलेखों की छायाप्रति :–
    1. आय-व्यय का लेखा (बैलेन्स शीट)
    2. व्यय लेखा (एक्सपेंडिचर एकाउन्ट)
    3. प्राप्ति भुगतान लेखा
    4. सम्परीक्षण प्रतिवेदन
13. आज तक पशु कल्याण हेतु किये गये कार्यों का विवरण तथा उन पर किये गये व्यय।
14. अलाभकारी गायों की देख-रेख हेतु संस्था को भली-भाँति चलाने तथा पशुओं के रख-रखाव हेतु वित्तीय संसाधन।
15. क्या आज तक संस्था को भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है (यदि हाँ तो विवरण दें तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)।
16. वर्तमान समय में उपलब्ध भवनों की क्षमता।
17. क्या संस्था द्वारा स्थानीय निकाय में आवारा पशुओं को शरण दिये जाने के बाबत सहमति-पत्र हस्ताक्षरित किया गया है (यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)।
18. वर्तमान समय में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या के क्रम में संलग्नक–1
19. वर्तमान समय में आपके संस्था में कार्यरत कार्मिकों की संख्या के क्रम में संलग्नक–2

आज्ञा से,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
प्रभारी सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **1277/XV-1/2(34)/09** dated November 23, 2011 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

November 23, 2011

No. 1277/XV-1/2(34)/09--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007 (Uttarakhand Act No. 06 Year 2007), the Governor is pleased to make the following rules :--

THE UTTARAKHAND STATE PROTECTION OF COW PROGENY RULES, 2011

1. Short Title, Extent and Commencement--

(1) These rules may be called the Uttarakhand Protection of Cow Progeny Rules, 2011.
(2) They shall be in force in the whole State of Uttarakhand.
(3) These rules shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

2. Definitions--

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context--

(a) **"Act"** means the Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007;
(b) **"Cow Progeny"** means cow, bullock, bull, female heifer and male heifer;
(c) **"State Government"** means the State Government of Uttarakhand;
(d) **"Proforma'** means the proforma given in the schedule to these rules;
(e) The areas under the Local Authority will be the Gram Panchayat, Kshetra Panchayat, District Panchayat, Municipality and Municipal Corporation.

3. Information to be given of diseased animal--

The cow progeny belonging to any person and suffering from any infectious/communicable disease or believed to be in a painful condition and suffering from an incurable disease notified by the State Government, the communication of which is likely to cause danger to not only livestock but to human life also, can apply on **Proforma "1"** to the nearest Veterinary Officer for getting the cow progeny examined for confirmation of the said disease.

4. Examination of the diseased animal--

The Veterinary Officer shall inform the applicant about the date, time and place for the examination of the diseased animal and carry out the examination of the animal and if it is proved that the said animal is suffering from a infectious/communicable disease notified by the State Government which is incurable and the animal is in pain, then the said officer shall issue a certificate on **Proforma "2"** for the euthanasia of such Animal Veterinary Officer will ensure that his diagnosis and decision to the effect is also put in writing on the original application.

5. Clinical examination of the diseased animal--

The Veterinary Officer shall ensure the carrying out of all necessary clinical and pathological examinations of the infectious/communicable disease as notified by the State Government, the cost of which will be borne by the applicant.

6. Euthanasia--

On receipt of the certificate on prescribed **Proforma "2"** the applicant shall arrange for the euthanasia of the said cow project through minimum possible painless method on his own land/premises or at a place earmarked for the purpose.

7. (1) Whenever any cow progeny is to be euthanized then as soon as the person who has euthanized or arranged for it will inform the officer who has issued the certificate on **Proforma "2"** in writing on **Proforma "3"** with in 24 hours.

(2) Such cow progeny shall be buried deep on the land of the animal owner or any other place determined for the said purpose by the Local Authority.

8. Transport of cow progeny outside the State--

(1) The District Magistrate of every district shall be the competent authority regarding transportation of cow progeny outside the State.

(2) The District Magistrate shall ensure that the transportation of cow progeny outside the State shall be as per the provision of section 6 of the Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007 and shall ensure that their transportation is being done for the purpose of their protection, promotion and their rearing and there is no threat of slaughter or smuggling after transportation.

9. Representation for transportation and enquiry--

Before the transportation of cow progeny outside the State, the applicant shall declare the purpose for which such animals are to be transported outside the State. Out of all such purposes, permission for transportation of such animals outside the State shall be granted for the following purposes :--

(1) on declaration of purpose of transportation of cow progeny for protection, the applicant should submit certified copy of recognition of the organization for cow welfare, brief introduction of the organization and achievements of organization in the area of cow progeny welfare.

(2) on declaration of purpose of transportation of cow progeny for promotion the application shall clarify the name of propagation scheme for which the applicant is applying for transport of cow progeny out side the State, name of funding agency, no objection certificate from the State Government to which the cow progeny transportation is proposed and complete information about the scheme, Certified copies of the above documents will be enclosed along with the application.

(3) on declaration of the purpose of transportation for rearing of cow progeny, the applicant shall provide--

(a) own identity will have to be produced (photo identity card or domicile certificate or a copy of any other document will be produced);

(b) the applicant will have to prove that the proposal for the transport of the cows is for the purpose of milk production or for the production of their progeny or for agricultural purpose or other agriculture related works only and under any circumstances there is no threat or slaughter or smuggling or cow progeny. For this purpose the applicant will have to produce a copy of the Kisan Bahi certified by the Revenue Department or a copy of any other document;

(c) the applicant will have to prove that he has never been involved previously in any case, involving the killing of cow progeny or their smuggling. In proof whereof a verification of character from the local police station will have to be produced;

(d) in cases of transportation of cow progeny outside the State for the purpose of rearing, the documents submitted by the applicant *i.e.* identity certificate/kisan bahi/document regarding non involvement of the applicant in any crime against cow progeny will be verified/enquired by a first class Magistrate and on completion of this enquiry report will be submitted on prescribed Proforma. **(Proforma "4")**;

(e) a certified copy of the counter file of the animal sale certificate will have to be produced on prescribed Proforma. **(Proforma "5" and "6")**;

(f) for the transportation of the cow progeny for the purpose of rearing, the applicant will have to submit the following affidavit :--

(i) the proposed transport of the cow progeny is not being done with the objective of killing or smuggling them. Under any circumstances this cow progeny will not be used for the purpose of killing or smuggling;

(ii) the applicant has never been involved in any incidence of killing/smuggling of cow progeny nor has he ever been involved in the planning for the killing or smuggling of cow progeny nor has he been an accomplice in these crimes;

(iii) the cow progeny proposed to be transported outside the State will be looked after properly by the applicant. In case these cows fall sick then they will be treated by the Government Veterinary Officer of the nearest Veterinary Hospital. In case of death the postmortem examination will be conducted by the Veterinary Officer of the nearest Government Veterinary Hospital;

(iv) the cow progeny proposed to be transported out side the State will not be sold by him to an unknown person. The cow progeny will be sold to only those persons well known to the applicant and capable of rearing them properly. The applicant will keep the sale receipt and other documents regarding sale safely and well preserved.

(v) the applicant will never sell cow progeny to a person who has been previously involved/assisted/prosecuted in smuggling of cow progeny;

(vi) in case the cow progeny are to be transported more than 05 kilometer on foot then their transport shall be as per the **Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot Rules, 2000)** framed under the **Prevention of Cruelty Act, 1960** and if the animals are to be transported by vehicle then in that case this will be done as per the provisions of the, **"Transport of Animal Rules, 1978"** and **Transport of Animal (Amendment) Rules, 2009** framed under the **Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960**;

(vii) under sub section (2) of section 6 of the Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007, for the transport of cow progeny outside the State a fee of ₹ 500/-- per cow progeny will be paid by him/her into the Government Treasury. On receipt of the permit the transport of the said cow progeny will be allowed.

10. Prohibition of permission of transportation--

The permission for the transport of cow progeny will never be granted to such person who himself or his relatives have been accused or included or an accomplice under any Act related to the prevention of cow slaughter or the protection of cow progeny.

11. Maintenance of document--

The maintenance of documents related to the granting of permission for the transport of cows and their progeny outside the State will be done by the Chief Veterinary Officer.

12. Health examination of animals--

Under the **"Transport of Animal Rules, 1978", Transport of Animal (Amendment) Rules, 2009** and the **Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot Rules, 2000)** framed under Section 38 of the **Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960** prior to purchase of animal, every such animal will under go a health examination by the local Veterinary Officer and "fit to move on foot certificate" in case of transportation on foot or in case of transportation by vehicle "fit to move on vehicle certificate" shall be obtained by the owner. The proforma for the issue of above certificates will be same as detailed in the above rules of the Central Act.

13. Presentation of proforma--

In each instance the applicant shall apply as per fixed **"Application Proforma" (Proforma "7")** and shall submit all necessary documents. Before forwarding the proposal to the District Magistrate the Chief Veterinary Officer shall give recommendation on **"Designated Proforma for recommendation" (Proforma "8")** to the former. The Chief Veterinary Officer shall ensure that the cow progeny is being transported outside the state as per the Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007 only for protection, promotion or rearing and there is no threat of killing or smuggling of cow progeny.

14. Enquiry by the observation chowkis--

(1) The check posts/observation chowkis of the police department, trade tax department, district panchayat and other Government departments shall give permission for the transport of cow progeny outside the State provided the applicant has deposited a fee of ₹ 500/-- per animal and there after obtained the permit from the District Magistrate for the said purpose under section 6 of the Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007 **(Proforma "9")**.

(2) Each and every check post/observation chowki shall ensure that transportation of cow progeny by vehicle is being done as per provisions **Transport of Animal Rules, 1978** and **Transport of Animal (Amendment) Rules, 2009** framed under Section 38 of the **Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960**.

15. Limitation of on foot transportation of animals--

Each and every check post/observation chowkis shall pay special attention the transportation of cow progeny on foot is being done as per the provisions of the **Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot Rules, 2000)** framed under Section 38 of the **Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960**.

16. Responsibility on smuggling of cow progeny--

The check posts/observation chowkis if found to be negligent in matters relating to the smuggling of cow progeny outside the State then the employees of such check posts/observation chowkis will also be held guilty of contravening the provisions of Sub Section (1) of Section 6 of the Act and will be punished as per Section 11(2) of the Act.

17. Confiscation of cow progeny--

Cow progeny transported without a valid permit shall be confiscated and shall be kept in Cow shelters and such person, who cause unauthorized transportation will be punished under sub section (2) of section 11 of the Act.

18. Registration of cow progeny for rearing--

For registration of their cow progeny in urban areas the rearers apply for registration of their animals on prescribed Proforma to the Mukhya Nagar Adhikari/Executive Officer on prescribed format. **(Proforma "10")**

19. To provide application form and health examination certificate--

The Mukhya Nagar Adhikari/Executive Officer shall forward the application forms to the Veterinary Officer of the concerned area under intimation to the applicant for receiving the Health Certificate **(Proforma "11")** and forwarded application letter for his/her cows or their progeny from the latter and make it available to the former. Health certificate will be prepared in three copies.

20. Identification and Markation--

For the documentation of individual identity of each cow progeny and to certified the health of the cow progeny, the concerned Veterinary Officer will mark the cow progeny of the owner either using ear tag or any other better technique. The ear tag number will be recorded on the health certificate thus issued. The Department of Animal Husbandry will provide the tags for this purpose to the concerned Veterinary Officers.

21. Fee--

The animal owner will pay the fee as determined by the State Government for the issue of each cow progeny health certificate.

22. Registration--

(1) After receiving the health certificate, the Mukhya Nagar Adhikari/Executive Officer shall issue a registration certificate **(Proforma "12")** to the animal owner in which the ear tag number will be treated as the registration number and entered on the registration certificate issued thereof. Registration certificate will be prepared in three copies.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari/Executive Officer shall enter the details of each animal owner and the details of the registered cow progeny in the cow progeny registration register.

23. Procedure of registration in circumstances of loosing ear tags--

If in case the ear tags of the animals registered earlier falls off and is lost, the animal owner will inform the Mukhya Nagar Adhikari/Executive Officer in writing in this regard who in turn shall inform the Veterinary Officer, who shall then retag the animal with a new ear tag and inform the Mukhya Nagar Adhikari/Executive Officer regarding the same.

24. Fine--

If any person contravenes the provisions of section 8 or makes an attempt to contravene these provisions then that person will be punished under sub section (3) of section 11 of the Act.

25. Establishment of institutions for maintaining of cow progeny--

(1) For establishing institutions for taking care of uneconomic cow progeny application of following Non-Government Organizations registered under the Societies Registration Act, 1860 will be accepted :

(a) the organization must be registered for the welfare of cow and other animals;

(b) registered as a religious organization working on no loss no profit basis for the welfare of cows and their progeny;

(c) or a registered public trust as per law.

The applicant organizations having a minimum of 3 years of experience in the field of care and welfare of cows and their progeny will be given priority.

(2) Those organizations which have their own land which is free from any dispute and is in the possession of the applicant organization will be given preference. The applicant organization will have to give certifies copies of the documents regarding State Government not issuing any gazette notification for acquiring the proposed land and in case the proposed land on lease then proof regarding period of lease being for next 30 years.

(3) The applicant organization will have to apply on prescribed application form **(Proforma "13")** through Chief Veterinary Officer of the concerned district:

Provided that the ownership of the land is not with the applicant organization but the applicant organization has a guarantee of having availability of land for a period of 30 years and based on the documents submitted by the applicant organization (Land/Building Rent/Certified contract letter by a Notary in respect of the land to be provided on donation) the organization may be provided sanction for temporary construction (Tin Sheds).

26. Grant--

The sanction of State Government grant to applicant Non-Governmental Organizations for the establishment of institutions for uneconomic cow progeny will be based on the number of cow progeny being provided shelter by them. All such applications received will be divided into the following six categories:--

(a) In plain areas, organizations having a capacity of housing 50 cows;

(b) In plain areas, organizations having a capacity of housing 100 cows;

(c) In plain areas, organizations having a capacity of housing 200 cows;

(d) In hill areas, organizations having a capacity of housing 50 cows;

(e) In hill areas, organizations having a capacity of housing 100 cows;

(f) In hill areas, organizations having a capacity of housing 200 cows;

Provided that if the applicant organization is housing 50 cows then in the first phase that organization may be sanctioned Government grant for the establishment of institution for 50 cows only. In the same manner for the applicant organization housing more than 50 but less than 100 cows Government grant may be sanctioned for the establishment of institution for 100 cows only in the first phase and the organizations housing more than 100 but less than 200 animals then the applicant organization may be sanctioned Government grant for the establishment of institutions for 200 cows only in the first phase.

27. Category of grant--

All such grants shall be sanctioned under these six categories under Rule, 26 only. The concerned applicant organization shall initially submit an initial estimate of site plan layout of the proposed construction at the proposed site. After the policy decision for the construction has been made the applicant will have to submit a blue print of the site plan layout along with a head wise estimate of the same. The estimates to be submitted shall be on the approved rates of the Public Works Department and the rates shall be approved thereafter.

28. Operation of Cow shelter--

The buildings established/constructed and the equipments/ materials accrued as a result of this Government aid will not be used for any other purpose but the Government reserves the right to make use of the buildings/ equipments for any other purpose if the organization does not run the Gau Sadan up to its full capacity.

29. Enquiry of applications--

All the applications will be examined by competent authorities. After examination of all issues related to these applications by the competent authority the following committee will select the organizations for grant of Government aid:--

(a)	Hon'ble Minister of Animal Husbandry, Government of Uttarakhand	-- Chairman
(b)	Deputy Chairman, Uttarakhand Gau Sewa Ayog	-- Member
(c)	Secretary, Animal Husbandry, Uttarakhand Government	-- Member
(d)	Head of the Department, Department of Animal Husbandry, Uttarakhand	-- Member
(e)	Secretary, Uttarakhand Gau Sewa Ayog	-- Member Secretary
(f)	Secretary, Uttarakhand Animal Welfare Board	-- Member

(2) The selection of the applicant organization by the Selection Committee will be final. The Committee reserves the right to cancel any application without assigning any reason thereof.

30. Contract for financial aid--

Prior to the grant of Government financial aid the applicant organization shall have to sign and produce an effective agreement for a minimum period of 5 years. In the event of violation of the terms and conditions of the agreement all financial aid/grant will have to be deposited with interest in the Government Treasury. The following terms and conditions may definitely be incorporated in the agreement :--

(i) The applicant organization will have to give in writing that the land of the organization is not under dispute Government has not notified for acquisition of this land the gazette and this land is in the possession of the said land. In case the land is under lease then lease should be for next 30 years. No land will be purchased with the grant money received from the Government;

(ii) The applicant organization will be responsible for the arrangement of upkeep, housing arrangement, fodder and feed, straw and water for these animals;

(iii) The applicant organization shall be bound to receive/keep the animals brought to the institution up to its maximum strength;

(iv) The applicant organization will get the treatment of all the sick animals done from the Veterinary Officer of the Local Veterinary Hospital;

(v) The applicant organization shall be responsible for the management of buildings/ constructions provided to it;

(vi) The constructions/buildings built with Government financial aid will be used for the same purpose as prescribed in the agreement/purpose memtioned and in the application by the applicant for the grant of aid;

(vii) The constructions/buildings built out with the grant in aid will neither be sold nor will be let out on rent;

(viii) A separate account will be opened in the bank for this grant in aid and accounts for the same will be maintained separately by the organization. The inspection of these accounts can be carried out by the officers of the Government, Administrative Officers, Officers of the Uttarakhand Gau Sewa Ayog, Uttarakhand State Animal Welfare Board, and the Hon'ble members of the Selection Committee;

(ix) The construction works to be completed with the help of this grant in aid shall be carried out by the applicant organization within a period of two years. The grant in aid will be utilized under the heads in which the amount has been sanctioned. After completion of the construction, completion certificate from competent authority will have to be submitted certifying that the construction has been carried out as per the sanctioned layout and approved estimate;

(x) The applicant orgainzation after completion of construction works shall get the accounts for the same audited from the authorized auditors for the purpose and forward their report to the Government;

(xi) The applicant organization shall submit a monthly progress report regarding the progress of the construction work through the office of the Chief Veterinary Officer of the concerned district;

(xii) The applicant organization will get their accounts audited every year;

(xiii) on the completion of the financial year the organization shall forward the details of their accounts through the Chief Veterinary Officers of the concerned districts;

(xiv) In case there is violation of the terms and conditions of the agreement by the applicant organization then the grant in aid shall have to be deposited with interest in the Government Treasury;

(xv) The applicant organization shall not make any major changes in the original proposal without prior permission;

(xvi) The applicant organization shall be inspected from time to time by the officers of the Department of Amimal Husbandry, Accountant General of Uttarakhand and other officers of the state department. The applicant organization shall provide complete co-operation during these inspections;

(xvii) In case of any dispute, the decision of the Head of the Department Animal Husbandry, Uttarakhand shall be final;

(xviii) All disputes relating to the matter shall be subject to the jurisdiction of the Courts within the State of Uttarakhand.

31. Presentation of records--

After the completion of the construction work the applicant organization shall submit the following documents :--

(a) a certificate to the effect that the constructions have been completed as per the approved site plan and as per approved estimates;

(b) an audit certificate of the expenditure records of construction works issued by the authorized auditors.

32. Maintenance of unproductive cow progeny--

For keeping unproductive cow progeny in the institution, cost of its transportation, feeding and treatment shall be payable by the owner of the cow progeny to the institution at the rates as specified by the District Magistrate.

SCHEDULE

Proforma "1"

Application for Certificate for Communicable/Infectious Diseases

To,

Veterinary Officer,

Sir,

It is requested that my animal ..... (description of age and colour of animal) which is suspected to be suffering from the notified communicable/infections disease or an untreatable disorder and is suffering from a painful condition may kindly be examined and I may be provided a certificate for ..... euthanasia of the said animal.

Your's Sincerely,

Name .....

Signature .....

Address .....

Date .....

(To be filled in by the Veterinary Officer)

Date and Place fixed for the examination of the animal .....

Applicant intimated by ..... on .....

The date and place of the examination of the animal .....

FINDINGS

The animal is suffering/not suffering from the.....disease.

My reasons for the findings are :

.....

.....

.....

Date .....

Veterinary Officer,

District.

Proforma "2"

Certificate of disease

I .....Veterinary Officer ..... have examined the ..... and do hereby certify that the animal is suffering from the .....notified communicable/infectious disease or suffering from an untreatable disorder and may be euthanized.

Date .....

Veterinary Officer.

Proforma "3"

Information of Death

To,

Veterinary Officer,

……

……

Sir,

It is to inform that ……..... has been euthanized..... on dated …… at …… (time) at …… (Place) based on the certificate No. …… dated …… issued by the Veterinary Officer.

Dated ……

Signature of Animal Owner

Address

(Proforma "4")

Proforma for the verification of the facts of the transportation of cow progeny for the purpose of rearing

It is certified that--

The applicant has submitted/not submitted all documents in respect of permission for the transport of cow progeny as per the provisions of the Uttarakhand Cow Progeny Protection Act, 2007.

The documents submitted by the applicant have been examined and the identity of Mr./Ms./Mrs. ..... R/o ..... P.O. ..... Tehsil ..... District ..... is certified.

The verification of the documents submitted for the transport of cows and their progeny outside the state for the purpose of rearing has been done. After having verified the documents submitted the fact has been established that the animals are being transported for the purpose of milk production or production of progeny or for agriculture purposes.

The document issued by the police thana of that area certifying that the applicant is/has never been involved in incidences of killing and/or smuggling of cows and their progeny.

Thereafter a sworn affidavit to the effect that the cows and their progeny will not be slaughtered or smuggled has been obtained from the applicant. It does not appear in this instance that the cows and their progeny will be slaughtered or smuggled.

The permission for the transport of cows and their progeny outside the state is granted/not granted as per the provisions of the Uttarakhand Protection of Cow and its Progeny Act, 2007 is.

(Signature of Class-I Magistrate)

Name .....

Seal .....

(Proforma "5")

Proforma for the Counter File to be maintained at the time of purchase of cows and their progeny from a recognized animal fair

Name of the Animal Fair Organizing Organization .....

Name of the Animal Fair ..... Place .....

Date and duration of the Animal Fare .....

Counter Foil No. .....

Details of the Animal Seller	Details of the Animal Purchaser	Description of the Animal	Details of the Progeny with the Adult Female Animal	Documentations by the concerned departments
Name..... Registration No. Father's Name	Name..... Registration No. Father's Name	Species..... Registration No. Breed	Species..... Registration No. Breed	Serial No. of the Certificate Issued by the temporary camp of the department of animal husbandry
Village Post Office Block Tehsil District	Village Post Office Block Tehsil District	Sex Lactation Age Colour Horns	Sex Age Colour Horns Tail	Registration No. of the certificate issued by the temporary camp of the Forest Department
State	State	Tail	Other Recognizing Features	Registration No. of the Enquiry report issued by the temporary camp of the Revenue Department regarding the identity, Kisan Bahi and the reason for which the animal is being purchased
Thumb Impression or Signature of Seller	Thumb Impression or Signature of Purchaser	Other Recognizing Features		
		Stage of Pregnancy		Cost of Animal

Signature of the Representative of the Organizing Department.....

Date.....

Seal.....

(Proforma "6")

Proforma for the Counter File to be maintained at the time of purchase of cow progeny from the animal owner's doorstep

Counter Foil No. .....

Details of the Animal Seller	Details of the Animal Purchaser	Description of the Animal	Details of the Progeny with the Adult Female Animal	Documentations by the concerned departments
Name.....	Name.....	Species.....	Species.....	Witness No. 1:
Registration No.	Registration No.	Registration No.	Registration No.	Signature :
Father's Name	Father's Name	Breed	Breed	Name :
Village	Village	Sex	Sex	Fathr's Name :
Post Office	Post Office	Lactation	Age	Address :
Block	Block	Age	Colour	
Tehsil	Tehsil	Colour	Horns	Witness No. 2:
District	District	Horns	Tail	Signature :
State	State	Tail	Other	Name :
			Recognizing	Father;s Name :
			Features	Address :
Thumb	Thumb	Other		
Impression or	Impression or	Recognizing		
Signature of	Signature of	Features		
Seller	Purchaser			
		Stage of		Cost of Animal
		Pregnancy		

(Proforma "7")

Proforma for the application of transport of cow progeny outside the state as per the provisions of the Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007, Section 13 (2 B)

To,

District Magistrate--District .....
(Competent Authority under Section 6 of the Act)

Sir/Madam,

I, ... S/o ..... resident of Village..... Post Office ..... Police Thana ..... Tehsil ..... District..... (Certified copy of identity card should be enclosed) intend to transport cow/cow calf/cow heifer/cow bull/bullock from (Place).....to .....(Address of destination) the following colour..... age ..... sex ..... (complete details of the certificate issued under the prevention of Cruelty to Animal Act, 1960 with regard to the transport of animals) request you to kindly grant me permission letter for the same. The animal (s) has been purchased from (Name) ..... (Resident of) ..... (Post Office) ..... Tehsil ..... District ..... (Certified copy/counterfoil of the sale letter enclosed).

The transport of the animal is being done for the purpose of ..... in this context :

Purpose--On declaration for the purpose of protection of cow progeny the applicant shall provide a certified copy of the certificate of recognition of the organizations commitment to the welfare of the animals. A certified copy of the records regarding the brief introduction of the organization and the achievements in the area of cow and its progenies' welfare will be enclosed with the application.

or

Purpose--On declaration for the purpose of propagation of cow progeny the applicant will specify that the application for transport of cow progeny outside the state is being done for the purpose of their propagation, name of the financing agency for the scheme, the state to which the animals are proposed to be transported, no objection certificate from that Government as well as complete information regarding the scheme and will provide a certified copy of these documents along with this application.

or

Purpose--On declaration for the purpose of rearing of cow progeny the applicant will submit a copy of his Kisan Bahi certified by the Revenue Department along with the an sworn affidavit that the applicant will not sell the said animals and incase they are soled then all records pertaining to their sale will be kept securely and he/she has never been involved in the killing/smuggling/any cruelty against cows and their progeny and in case these animals fall ill then they shall be got treated from the Government Veterinary Hospital of the area and in case of death the postmortem examination of the animal shall be got done from the Government Veterinary Hospital. This affidavit shall be witnessed by two representatives of recognized organization involved in the protection, propagation and welfare of cows and their progeny.

Your's Sincerely,

Name and Signature of Applicant

Complete Address :

NOTE--In case the application is rejected then the reason thereof shall be clearly indicated on the application.

(Proforma "8")

"Designated Proforma for recommendation by the Chief Veterinary Officer"

1. Name of the person applying for permission of transport of animals

2. Name of the person receiving the animals

3. Name and address of trasporter/company and the Vehicle No.

4. Has a fit to be transported certificate been issued by the Veterinary Officer. Clarify that--

The animals are not suffering from a communicable disease and are of sound health for then to be transported--

(A) None of the animals intended to be transported is unhealthy meaning that none of the animals are new born or sick or blind or weak or excessively exhausted and in the past 74 hours none of the female animals has given birth to a new born and that during their transport none of the animals is expected to give birth:

(B) The pregnant female animals have not been mixed and transported along with the other animals:

(C) The arrangement for keeping and transporting them has been done species wise/age wise/sex wise:

(D) The sick animals have not been kept along with the healthy animals:

(E) For the control of excited and problem causing difficult animals the use of tranquilizing injections has been done at the time of loading them onto the vehicles:

5. The purpose for which the animals are being transported.

6. List of other documents submitted along with the application :

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

7. Has the arrangement for the feeding, watering, rest and the milking of the in milk animals been done :

8. Proposed time, date and vehicle for the transport of animals :

9. The names of the different places that will fall along the transport route and the expected time and date of arrival and departure :

Sl. No.	Date	Place	Expected time of arrival	Expected time of departure
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

10. The proposed place for inspection by the competent authority of the Animal Welfare Board of India :

All the documents enclosed in the application are true to the best of my knowledge. All Central and State Acts, Rules and Government Orders have been followed.

Applicants Signature.

Certificate

It is certified that--

As per the provisions of the prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 the animals to be transported have been issued with/not been issued a “certificate of fitness for transportation”.

The applicant has submitted/not submitted all the document required for applying for permission for the transport of animals as per the provisions of the Uttarakhand Protection Cow and its Progeny Act, 2007 and the identity of the applicant and the verification of the purpose for which the animals are being transported outside the state has been done.

Permission is hereby granted/not granted for the transport of cows and their progeny outside the state as per the provision of the Uttarakhand Cow and its Progeny Act, 2007.

(Chief Veterinary Officer)

District .....

(Proforma “9”)

Permit for Transportation of cow progeny

Sri ..... S/o ..... Resident ....of ..... P.O. ..... Police Station ..... District ..... is here by authorized to transport cow/bull, bullock from ..... to ..... (address of destination) by rail/road for the purpose of ..... (Brief description of animals).

Dated Signature and Seal
of District Magistrate.

(Proforma "10")

APPLICATION FOR REGISTRATION OF COW PROGENY

To,

Mukhya Nagar Adhikari/Executive Officer,
Nagar Palika/Nagar Nigam,
District..... .

Sir,

I, ... S/o ..... Resident of ..... Post Office..... Police Station..... District ..... request you to register my animals as per details given below :

Detail of Animals

Your's faithfully,

Name and Signature of Applicant.

(Proforma "11")

Health Certificate to be issued by the Veterinary Officer

Name of animal owner ..... Name of Father of animal owner .....

Address ..... H. No. ..... Post Office .....

Police Station ..... District ..... Phone Number .....

Description of Animals

Sl.No.	Animal	Sex	Tag No.	Breed	Colour and age	Natural Marks

I, hereby certify that I have examined the above mentioned animals and found them to be healthy and have ear tagged them.

Dated .....

Signature

Name of Veterinary Officer .....

Address .....

Office Seal .....

(Proforma "12")

Registration Certificate of Cow Progeny

As per the health certificate No. issued by Veterinary Officer, Govt. Veterinary

Hospital..... following animals of Sri ..... S/o ..... Resident ..... Post Office ..... Police Station ..... District ..... are registered as given below :

Sl. No.	Animal	Sex	Tag No
.			

Signature, Seal and Date of
Mukhya Nagar Adhikari/
Executive Officer.

(Proforma "13")

Application for establishment of institution by Non-Government Organizations for taking care of uneconomic cow progeny

1. Organization Introduction--

   Name

   Address

   Pin code

   Telephone no./STD code

   Fax

   E-mail

2. Name and Address of the members of the organization :

3. Is the organization recognized by Animal Welfare Board of India?
   If yes, then code number :

4. Is the Organization Registered under Societies Registration Act or
   Trust Act or Foreign Contribution Act?

   a. Please Attach an attested photocopy of Registration Certificate :

   b. Registrar Office :

   c. Registration Number :

   d. Date of Registration :

5. Year of establishment/Attested Photocopy of memorandum of Association and Bye-laws :

6. Land :

   a. Total Land Available :

   b. Whether the land is registered in the name of the organization?
      If yes then attach attested photocopies of the records.

   c. Is the land in possession of the organization ?
      If yes then specify from when it is in the possession of organization.

   d. How the land has been obtained ? Attach photocopies of the records :

      - Obtained through Purchase?
      - Obtained through Donation ?
      - Obtained on lease for 30 years ?
      - Government Land?
      - Land donated by local bodies?

7. Audited Accounts for the last 3 years which should contain the Balance Sheet, Income and Expenditure A/c and Receipt and Payment A/c :

8. Available Veterinary Services/First Aid Facility :

   a. Veterinary surgeon available Yes/No
   If yes, number, Full time/Part time/Contractual/Voluntary

   b. Para veterinary staff -- Available Yes/No
   If yes, number, Full time/Part time/Contractual/Voluntary

   c. In house Dispensary Yes/No

   d. Lifting Van/Ambulance Yes/No

9. Source of Feed and Fodder for animals and storage Facility :

   a. Facility of Grassland for Animals.

   b. Source of Dry Fodder

   c. No. of fodder trees in the campus and their average yield.

   d. Area under fodder grass cultivation and its average yield.

   e. Availability of manger -- Number

   f. Arrangement of Dry fodder stores Number and Size

   g. Arrangement of stores for other fodder Number and Size

   h. Availability of chaff cutter Number and Size

10. Other resources and facilities Available--

Electricity

Bulb

Tube Light

Fans

Tube well/Bardwell/Motorized Pump

Motorized Chaff cutter

Water source (Well/Bare well/Hand pump/Natural source/River/Water supply connection

Facility for water storage

- Overhead Tank -- Number Capacity --
- Storage Tank (Cement) -- Number Capacity --
- Storage Tank (Plastic) -- Number Capacity --
- Water Manger -- Number

Drainage System

Arrangement for urine collection

Arrangement for dung collection

Arrangement of Fodder pits

Sanitary Conditions

Facilities of utensils for preparing food

11. Details of office records--

Titles of office registers

Titles of office files

Other records

12. Number of Beneficiaries with your organization
(Details as per Annexure-1 with this application form)

13. Whether the organization has started utilization of Gobar Gas ?
If yes, then give progress report

14. Whether the organization has started work on wormi culture ?

15. Whether the organization has started distillation of cow urine ?

16. Detail of Animals rescued by the organization :
News paper cutting/Photographs/V.C.D. or any other records to be attached

17. Strength of organization to keep animals as per Annexure--1

18. Details of the staff employed as per Annexure--2

19. List of documents to be attached as per Annexure--3

I/We have read all the term and conditions for establishing institution for uneconomic cow progeny and I/We undertake to abide by all the terms and conditions.

Signature of applicant :

Name of the applicant :

Address of the applicant :

NOTE--where over not applicable, especially in case of new organization, please write N.A.

ANNEXURE--1

Details of Beneficiaries

Sl. No.	Type and Breed of Animals	Adult		Young ones		Total
1.	Cattle (Indigenous)					
2.	Cattle (Crossbred)					
3.	Other Animals					
	Total Beneficiaries					
	Extra available capacity (sqr. ft)	.....sqr. ft. (for cattle) .....sqr. ft. (for other animals)				

Signature of applicant :

Date of Signature

Name of applicant

ANNEXURE--2

Details of the Staff Employed

Part I (Previous year .....)

i. Name of the Organization

ii. Address of the Organization

iii. Year .....

Sl. No.	Name and Address of Employee	Educational Qualification	Date of Appointment	Period for which Employed	Salary per month	Salary paid during the last year	remarks

Part II (Current Year)

i. Only notify change from the previous year.

ii. In case there is no change in the part 1 in the previous year please clarify as follows : "No change in Staff particulars from the previous years".

Signature of applicant :

Date of Signature

Name of applicant

ANNEXURE--3

The list of documents required to be submitted for the establishment of Institutions for taking care of uneconomic cow progeny

1. Application in prescribed Proforma (copy enclosed)
2. Detailed proposal and its justification for construction of institution for uneconomic cow progeny;
3. Authenticated copy of the Registration Certificate under Societies Registration Act, 1860 (certified by the Registrar);
4. A copy of the Memorandum of Association;
5. Certified copy of rules and byelaws of the organization;
6. Site Plan/Blue Print duty approved by the local authorities;
7. Registered lease/gift/sale deed. Lease deed should be for a period of minimum 30 years;
8. Attested copy of Revenue Record of land showing its title in the name of organization;
9. A certificate from the concerned Registrar/Sub Registrar along with documentary proof that the land on which institution for uneconomic cow progeny is proposed to be constructed is in the name of the organization and without any encumbrances (original copy);
10. The estimate showing the amount of financial assistance required for construction of institution for uneconomic cow progeny in relevant break-ups worked out and a certificate from the State Government Approved Valuer to the effect that the rates quoted for the construction of the proposed Shelter House are not more than prevailing PWD/CPWD rates;
11. List of members of Executive Committee and Journal Body (Name, Address, Telephone no.);
12. Latest audited statement of accounts duly certified by the Chartered Accountant, in respect of the organization for the last financial year, in the under mentioned parts :
    (i) Balance Sheet;
    (ii) Income and Expenditure Statement;
    (iii) Receipt and Payment Statement;
    (iv) Audit Report.
13. Details of animal Welfare activities performed so far and expenditure incurred for this purpose;
14. Details of financial resources to run the proposed shelter house smoothly and area to be covered for rescue of animals;
15. Details as to whether the organization has ever received any grant-in-aid from the Ministry or a WBI and if so, please indicate whether the Utilization Certificate of that grant has been submitted or not;
16. Details of existing covered/constructed area, its capacity and proposed to be covered;
17. Copy of Memorandum of Understanding/Agreement entered into with concerned local bodies (i.e. Municipal Corporation, Panchayat etc.) to the effect that the organization will accept stray animals from them to the extent of sheltering capacity for which the grant is sought;
18. List of beneficiaries (as per Annexure-1);
19. Detail of staff employed (as per Annexure-2).

By order,

ARUN KUMAR DHAUNDIYAL.
Incharge Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 1 हिन्दी गजट/39—भाग 1—2012 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 जनवरी, 2012 ई0 (पौष 17, 1933 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगर पालिका परिषद्, नैनीताल

विज्ञप्ति सं0–1349 / XV–18

दिनांक 04–10–2011 ई0

नगरपालिका परिषद्, नैनीताल सीमान्तर्गत म्यू0 एक्ट 1916 की धारा 298, लिस्ट I H (b) और (m), E(b) और लिस्ट II H (p) के अन्तर्गत ट्रैफिक को नियंत्रित व विनियमित करने हेतु बनायी गयी प्रचलित उपविधि जो वि0स0 683 / X139-H, दिनांक 14–02–1917 को प्रकाशित हुयी और जिसमें समय–समय पर संशोधन किये गये हैं, में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :–

संशोधन

1. उपविधि के प्रस्तर 3, 4, 5, 7 एवं 8(3) को हटाया जाता है।
2. प्रस्तर 12 में जहां–2 पर उत्तर प्रदेश लिखा है के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जायेगा।
3. प्रस्तर 12(VI) में पूर्व के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जायेगा :–

   अन्य राज्यों के राज्यपाल और राज्य प्रमुख नगर में निःशुल्क प्रवेश कर सकेंगे।
4. प्रस्तर 12(b) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् (U.P. Legislative Assembly) एवं भारतीय राज्यों के शासकों को नौ या अधिक तोपों की सलामी (Rulers of Indian State with a salute of nine or more Guns) को हटाया जाता है।
5. 12(d) में from 1st March to 30 November में Without के स्थान पर With पढ़ा जायेगा।
6. प्रस्तर 12 के (f) में Not Exceed के पश्चात् Ten Miles के स्थान पर 16 Kilometer पढ़ा जायेगा।
7. प्रस्तर 12 के (h) को हटाया जाता है।

8. प्रस्तर 12 (n) में Deputy Commissioner के स्थान पर District Magistrate पढ़ा जायेगा।

9. प्रस्तर 12 के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ाया जाता है।

प्रस्तर : 13 हल्का भार वाहन और हल्का मोटर वाहन (M.G.V. 7500 Kg and L.M.V 7500 Kg) जो पर्वतीय क्षेत्र के लिये आर0टी0ओ0 अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा अनुमन्य किए गए हों, मालरोड और बारापत्थर से नगर में प्रवेश कर सकेंगे इससे अधिक भार वाले वाहन विशेष परिस्थितियों में जिन वाहनों को आर0टी0ओ0 अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा अनुमति दी गयी हो को ही अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, नैनीताल की पूर्व स्वीकृति से प्रवेश कर सकेंगे।

प्रस्तर : 14 मालरोड में मैरिनो होटल से जगाती होटल तक, सैन्ट्रल होटल से क्लासिक होटल तक, ग्राण्ड होटल से चर्च तक और भारतीय स्टेट बैंक के आगे 15 मिनट सवारियां उतारने के लिए इस प्रतिबंध के साथ कि सवारी अथवा वाहन चालक वाहन में बैठा हो। ऐसा न पाये जाने पर अर्थदण्ड ₹ 1000/– तक होगा समयावधि से अधिक वाहन के खड़े होने पर अर्थदण्ड उपरोक्तानुसार वसूला जायेगा। उल्लिखित स्थानों के अतिरिक्त नगर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त मार्ग एवं सड़क से लगे निजी भूमि के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों को खड़ा करने के लिये प्रतिबन्धित रहेगा।

तल्लीताल पोस्ट आफिस से मालरोड, रोड में प्रवेश करने वाले वाहन मल्लीताल मोहन–को चौराहे तक एवं जामा मस्जिद मल्लीताल तक वाहनों को खड़े करने के लिए पूर्णतया प्रतिबन्धित मार्ग घोषित किये जाते हैं।

ठंडी सड़क में किसी भी प्रकार के वाहनों का संचालन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।

पर्यटक सीजन के समय व अन्य विशेष परिस्थितियों पर वाहनों को अल्प अवधी के लिये खड़ा करने के लिये समय–समय पर स्थल चिन्हित कर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, नैनीताल की अनुमति से खड़े किये जा सकेंगे। पूर्ण प्रतिबन्धित मार्गों पर वाहन खड़े पाये जाने पर अर्थ दण्ड ₹ 2000/– तक नियुक्त किये गये नगरपालिका परिषद्, नैनीताल के अधिकारी/कर्मचारी एवं पुलिस/ट्रैफिक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निर्धारित रसीद द्वारा वसूला जायेगा। अर्थ दण्ड न दिये जाने की दशा में विधिक कार्यवाही करने के लिये नगरपालिका परिषद्, नैनीताल पूर्ण रूप से सक्षम होगी।

नगर में पर्यटकों एवं जनसुविधा के लिये वाहनों को प्रतिबन्धित मार्गों को छोड़कर अन्य मार्गों में वाहनों को अल्प अवधी के लिये चयनित स्थलों पर रुकने के लिये समय सीमा अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा निर्धारित की जायेगी। ऐसे चयनित स्थलों पर सूचना पट लगाये जायेंगे। समय सीमा के बाद और अन्य स्थलों पर वाहनों के पाये जाने पर उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड ₹ 1000/– तक पालिका द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी पुलिस एवं ट्रैफिक विभागों के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पालिका द्वारा जारी रसीद पर वसूल की जायेगी।

प्रस्तर : 15 नगर के किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर वाहनों की धुलाई को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है। धुलाई करते पाये जाने पर अर्थदण्ड वसूला जायेगा जो ₹ 1000/– तक होगा।

प्रस्तर : 16 नगरपालिका सीमान्तर्गत किसी भी मार्ग पर निर्माण सामग्री (रेता, बजरी, लकड़ी, सरिया, सीमेन्ट आदि) पाये जाने पर पालिका द्वारा किसी भी समय बिना किसी चेतावनी के जब्त करने का अधिकार पालिका में निहित होगा। जब्त सामग्री वापस नहीं की जावेगी। जब्त सामग्री को नीलाम करने का अधिकार पालिका में निहित होगा।

प्रस्तर : 17 मालरोड में ट्रैफिक नियंत्रण को व्यवस्थित एवं जन सुविधा हेतु रिक्शे पूर्ण वर्ष चलने पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। निम्न समयानुसार रिक्शे चालान के लिये प्रतिबन्धित होंगे :–

1. माह मई एवं जून में सांय 6.00 बजे से 9.00 बजे रात्रि तक।

2. अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, नैनीताल की अनुमति से अन्य माहों में रिक्शा चालन के समय में विशेष परिस्थितियों में कानून व्यवस्था नियंत्रण हेतु प्रशासन के अनुरोध पर समय निश्चित किया जा सकेगा।

प्रतिबन्धित समय पर रिक्शा चालन पाये जाने पर ₹ 2000/– तक जुर्माना लिया जायेगा।

प्रस्तर : 18 नगरपालिका द्वारा ट्रैफिक नियंत्रण हेतु सहायता लेने पर चालान की वसूली की गई राशि का 25 प्रतिशत पुलिस विभाग को दिया जायेगा।

उपविधि में शेष प्रचलित दरें यथावत रहेंगी।

उपरोक्त संशोधनों में प्रस्तर 3;4;5; को हटाने के पश्चात् प्रस्तर 6;7;8;9;10;11;12; प्रस्तर 3;4;5;6;7;8;9 पढ़े जायेंगे तथा प्रस्तर 13 से 17 तक के प्रस्तर 10 से 14 पढ़े जायेंगे।

मुकेश जोशी,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, नैनीताल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 1 हिन्दी गजट/39–भाग 8–2012 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।